IPO/878/RTI/MEA/16 RS 10

1798/2016

सेवा मे

जनसूचना अधिकारी / प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली

डायरी सं. 5747
Dy. No. ....RTI Cell/2016
दिनांक/Date 14/10/16

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन मोहदय

महोदय,

कृप्या राष्ट्रमण्डल देशो के सम्बन्ध मे निम्नलिखित सूचना देने की कृपा करे।

(1) भारत राष्ट्रमंडल देशो का हिस्सा कब बना था।

(2) क्या भारत अपनी इच्छानुसार राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा बना था तथा किस तारीख को भारत द्वारा राष्ट्रमंडल देशो का हिस्सा बनने के लिए आवेदन किया था।

(3) भारत को किन कारणो, नियमो तथा आधारो के तहत राष्ट्रमंडल देशो का सदस्य बनाया गया।

(4) राष्ट्रमंडल देशो का हिस्सा होने पर भारत को होने वाले लाभ का ब्यौरा दे।

(5) किन देशो को राष्ट्रमंडल देशो का हिस्सा बनाया जा सकता है।

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं है तो सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन आप सम्बंधित सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करे साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएँ

दिनांक- 22/09/2016

UNP 13/X

US (RTI)
13/X

M Vipin

नाम - शुभम गुप्ता पुत्र श्री शशिकांत गुप्ता
पता -346, रामनगर गली नं -4
कंकर-खेड़ा, मेरठ,उ.प , 250001
मोब. नो-9456040100
Emai l-Shubhamkosal@gmail.com

14.10.2016

विदेश मंत्रालय

(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)

*****

सं: यू.II/551/39/2016 दिनांक: 25 अक्तूबर 2016

सेवा में,

श्री शुभम गुप्ता s/o श्री शशिकांत गुप्ता

346, राम नगर, गली नंबर 4

कंकरखेड़ा, मेरठ कैंट

उत्तर प्रदेश – 250001

महोदय,

कृपया आपके द्वारा प्रेषित व प्रधानमंत्री कार्यालय को संदर्भित आर टी आई प्रार्थना पत्र संख्या "शून्य" दिनांकित 22 सितंबर 2016 का संदर्भ लें, जो कि इस मंत्रालय को दिनांक 14 अक्तूबर 2016 को प्राप्त हुआ है।

2. उपरोक्त आर टी आई प्रार्थना पत्र में आपके द्वारा क्रमांक 1 और 2 पर मांगी गई जानकारी निम्नवत है:

" 1949 के लंदन घोषणापत्र के बाद से, जिससे वर्तमान राष्ट्रमण्डल की स्थापना हुई थी, भारत ने 53 स्वतंत्र एवं संप्रभु देशो के इस संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह 1948 में भारत का स्वयं का निर्णय था कि एक नवीन गणतन्त्र के रूप में राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित हुआ जाए, इस निर्णय ने अनेक एशिया और अफ्रीका के देशों को राष्ट्रमण्डल में शामिल होने को प्रेरित किया।"

3. क्रमांक 3 और 5 पर मांगी गई जानकारी से संबन्धित सूचना इंटरनेट पर निम्न लिंक पर उपलब्ध है: https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Commonwealth.pdf

4. क्रमांक 4 पर मांगी गई जानकारी निम्नवत है:

"राष्ट्रमण्डल विभिन्न देशों के समूह जिनमे G-8 देश, प्रमुख विकासशील देश और कई विकासशील छोटे द्वीप राज्य भी शामिल हैं, को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार व्यक्त करने एवं परस्पर सहमति बनाने को एक मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कई राष्ट्रमण्डल देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी निवास करते हैं, जिनके हितों से संबन्धित मुद्दों पर वार्ता के लिए उन राष्ट्रमण्डल देशो से मित्रवत संबंध आवश्यक है।"

3. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इससे संबंधित अपील इस उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर श्री विश्वेश नेगी, निदेशक व प्रथम अपीलीय अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग, कक्ष सं: 0102, जवाहर लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली- 110011, फोन: 011-49018413 व फैक्स: 011-49018412 को भेजी जा सकती है।

भवदीय

(अलियावती लोंगकुमर)
अवर सचिव व केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग
कक्ष संख्या 0160, जवाहर लाल नेहरू भवन,
विदेश मंत्रालय, 23-डी, जनपथ, नई दिल्ली- 110011
फोन: 011-49018416

प्रतिलिपि:

1. जनसूचना अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अवर सचिव (आर टी आई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ।